रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-78 REGISTERED No D. (D)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1981/ज्येष्ठ 8, 1903
No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1981/JYAISTHA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. GOVT. OF INDIA

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 27-आई०टी०सी० (पी० एन०)/81

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय : 4 बिलियन येन के विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा किए जाने वाले माल और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें

फि० सं० आई० पी० सी०/23(15)/80-81.—जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किए गए 4 बिलियन येन ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विद्युत् बोर्ड की पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्त दान के लिए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

कु० रौमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहकारी निधि (ओ० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किए गए 4 बिलियन येन ऋण के अधीन हरियाणा राज्य विद्युत् बोर्ड की पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माल के आयातों और सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें :

खंड-1 सामान्य शर्तें

1(1) हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एच० एस० ई० बी०) की पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना की आवश्यकताओं के वित्तदान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) द्वारा प्रदान किया गया 4 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है । तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है । ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे ।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा-निदेशालय तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से सिफारिश कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सों) का मूल्य 4,440 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का मूल्य रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा । जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण संख्या-आई० डी० पी०-7" होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस०/जे० एन०" कोड होगा । एच०

एस० ई० बी० को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा । जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

1(3) लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल एच० एस० ई० बी० के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

1(4) एच० एस० ई० बी० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन, कुल मूल्य 4,440 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसाकि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है ।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि एच० एस० ई० बी० द्वारा आवेदन करने पर 31-12-85 तक दी जा सकती है । इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए ।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, तक प्रतिबंधित है ।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात-लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिएं । भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में किया जाएगा । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है ।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू० ई० 1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त, मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिनको वे लाइसेंसधारी को परेषित करेंगे लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकारपत्र शुल्क रुपया जमा कराने की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोत लदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में तकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए ।

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ..... महीने परन्तु अधिक से अधिक ..... के अन्त तक पूर्ण किया जाना है ।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-84 के बाद की न हो ।

खंड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2(1)(क) ठेके का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए ।

2(2) ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबंध-2 में दिए गए हैं । लेकिन साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित करने पड़ेंगे ।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साहित हो जाएं ।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिएं ।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक कियाविधि अपनाएगी :—

(क) जहां आयातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखता हो ।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो ।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न लें या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों ।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में ।

ऊपर सांकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

(1) औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(2) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

(3) एक संभरक से सीधा क्रय विशेष कारण, औचित्य लगाने वाली बोलियों के।

एच एस ई बी को विशेष कारण /औचित्य बताने वाली बोलियों के मूल्यांकन और तुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये जिस पर न्यूनतम मूल्यांकित बोली आधारित हो और इसकी तीन प्रतियों के साथ बोली विश्लेषण विवरण शीट, दस्तावेजों साक्ष्यों सहित यदि कोई हो तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये जो उसका आवश्यक अनुमोदन विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) से उसका आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यह ध्यान में रखना चाहिये कि क्रय संविदा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (जापान अनुभाग) द्वारा ओ०ई०सी०एफ० को केवल तभी अधिसूचित किया जाएगा जबकि रिपोर्ट आदि को ओ०ई०सी०एफ० से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उसके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1979—80 के लिये ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई०डी० पी० 7 के अधीन खोले गये अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खंड 6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिये। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिये आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यविभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(6) संभरक की पात्रता : संभरक पात्र स्रोत देशों का नागरिक या पात्र स्रोत देशो के नागरिकों द्वारा यथार्थ रूप से शासित वैध व्यक्ति होगा। उसे निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी पड़ेगी :

(क) पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा अधिकतर अभिदत्त शेयर रखे जाएंगे।

(ख) अधिकतर पूर्णकालिक निदेशक पात्र स्रोत देशों के नागरिक होंगे।

(ग) ऐसे वैध व्यक्ति पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत होंगे।

2(7) संविदा में घोषणा : प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल ..... में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है।

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

और

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ..... (पात्र स्रोत देश का नाम) में ..... (कंपनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा निर्गमित है।

2(8) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात : जिन वस्तुओं में अपात स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मदवार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

खंड—3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें :—

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिएं :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच एच एस ई बी की पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के लिए येन क्रेडिट आई डी पी—7 (परियोजना सहायता) से संबंधित 19 मार्च, 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों के भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आईडीपी—7 से संबंधित 18 मार्च, 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिये कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिये सहमत है और इस उद्देश्य के लिये वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत लदान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो। सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरा देते हुए तार से सूचना भेजने के लिये सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड 4—विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन :—4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिये निर्धारित अवधि के भीतर एच०एस०ई०बी० और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरक द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हूबहू प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिये और ठेकों की विषय वस्तु के लिये अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होंगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, एच एस ई बी के पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिये येन क्रेडिट सं० आईडीपी—7 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तदान करने

के लिये विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिये भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड 5—विदेशी संभरकों को भुगतान साख-पत्र क्रियाविधि :—

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा एच०एम० ई०बी० और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जायेगी। उसके बाद एच एम ई बी को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी०ए०ए०ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध—3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध करना चाहिए। सी ए ए एंड ए अनुबन्ध—4 के रूप में संलग्नक प्रपत्र में एक प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबंध—5 (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबन्धक—6 (सेवाओं के लिये) के रूप में संलग्नक प्रपत्र में संबंधित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिये जारी करेगा। प्राधिकारपत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत के आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध—5 (वास्तविक आयातों के लिये लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिये लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी०ए०ए०ए० से प्राधिकारपत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिये उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिये आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिये बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उनके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र के अंतर्गत सौदे तय करने के लिए साख-पत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए और विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के भुगतान की तिथि से ओ० ई० सी० एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए अदा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा।

भारतीय बैंक टोकियो द्वारा संभरक को माल के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के भुगतान की तारीख और ओ० ई० सी० एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच अन्तराल के लिए भारतीय बैंक 25-3-1980 का भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार ब्याज की वसूली करेगा और भारतीय दूतावास, टोकियो से उसकी प्रतिपूर्ति करवा लेगा। जापान में भारतीय दूतावास द्वारा इस ब्याज के भुगतान से हुए खर्च [खंड 6(4) के अनुसार] एच० एम० ई० बी० से वसूल किए जाएंगे।

खंड 6—रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व.—

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक होगी, जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना स० 46-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी। यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 के अंतर्गत संशोधित सार्व-सूचना सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 13-5-1974। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय का दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई० टी० सी० (पी० एन)/3-8-74 और सं० 8-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एंड एडवान्सिज-843 सिविल डिपोजिट्स डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्स्ट्रा एटसीट्रा परचेज अंडर क्रेडिट्स। लोन एग्रीमेंट लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 4 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी०-7 फार पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट" होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार को साख में सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 30-8-1968, सं० 233-आई० टी० सी० (पी० एन०) /68, दिनांक, 24-10-1968, सं० 132-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन०) 31-5-74 और दिनांक सं० 103-आई० टी०सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/ उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना स० 74-आई० टी० सी० (पी० एन)/74, दिनांक 21-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि

उसके पश्चात् सी० ए० ए० ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:— भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया बंबई को भेजना चाहिए।

खंड 8—विविध व्यवस्थाएं :

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना :-

लाइसेंसधारी का आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले जाने में संभरक पर प्रभाव डालती हों।

8(3) विवाद:

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध 3 में "भुगतान की शर्तें" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिएं।

8(4) भविष्य अनुदेश:

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (पण्य वस्तु सहायता) सं० आई० डी० पी० 7 के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों, या आदेशों का लाइसेंस धारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची:—

1.	अनुबन्ध	1	पात्र स्रोत देशों की सूची
2.	अनुबन्ध	2	अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3.	अनुबन्ध	3	अधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4	अनुबन्ध	4	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5.	अनुबन्ध	5	साख-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6.	अनुबन्ध	6	साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के के लिए लागू)

अनुबन्ध 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र :

(क-1) ओ० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश :

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र :

(ख-1) नान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश :

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा :

मिस्र
मोरोको
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा :

अंगोला
बोत्सवाना
बरुन्डी
कैमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र
चाड
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथो
लाइबेरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारिटेनिया मारीशस
मुजाम्बीक
नाइगर
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेशिया
रवान्दा

सेंट हेलिना और डेम (2)
साओटोम और प्रिन्साइप
सेनेगल
सेशिलिज
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजी लैण्ड
टेरी आफर्स और इस्सास
टोगो
युगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय :
बेहमस
बारबेडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकल गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुवाडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डूरस
जेमैका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैंड एनटिलीज
निकारागुवा
पनामा
सेन्ट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबैगो
वैस्ट इन्डीज (शाखा) एन आई ई०
(क) सम्बन्धित राज्य (1)[1]
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमरीका :
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यनाइटिड अरब अमिरात
यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया :
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया :
ब्रुनी
हांगकांग
ख्मेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पी द्वीप सहित
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित.—
असेन्शन, ट्रिस्टन डा कुन्हा समेत सम्मिलित, नाइटिन्गेल एक

(3) मुख्य द्वीप समूह, मक्का, ओनाइरे बसुराकाओं शाहा, सेन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)

8. ओसिनिया :

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसीसी पोलिनेशिया (5)
नीरू
न्यूकोलेडेनिया

न्यू हेब्रीनिस (ब्रि और फ्रें)
निमू
पैसिफिक द्वीप समूह [संयुक्त राज्य (6)]
पापुआ न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगों
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप :

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

---

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) नेविस अंगुइला, सेंट लुसिया और सेन्ट विन्सेन्ट

(2) मेन आइसलैंड, मोन्टेसरत, सेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन आइसलैंड समूह।

(3) अजमान, अबल, फुजाइरह, रास अल खैमाह शारहजाह और उम अल कवैन

(4) ग्रदन और विभिन्न सुल्तानत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आइसलैंडस समूह (नाहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट आम्बयर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2)—ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश :–

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
साउदी अरब
अबुधाबी
इन्डोनेशिया

अनुबन्ध 2

ऋण के अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए मार्ग दर्शन

विषय सूची की तालिका

अनुच्छेद संख्या	शीर्षक
अनुच्छेद-1	सामान्य
खण्ड 1.01	प्रस्तावना
खण्ड 1.02	औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिन्न क्रियाविधि
खण्ड 1.03	संविदाओं की किस्म और आकार विज्ञापन और इससे पूर्व की शर्तें
खण्ड 2.01	विज्ञापन
खण्ड 2.02	बोली लगने से पूर्व की शर्तें
अनुच्छेद 3	बोली लगाने वाले दस्तावेज
खण्ड 3.01	निधि के लिए संदर्भ
खण्ड 3.02	बोली बाण्ड अथवा गारंटियां
खण्ड 3.03	संविदा की शर्तें
खंण्ड 3.04	विशिष्टिकरणों का स्पष्टीकरण
खण्ड 3.05	मापदण्ड
खण्ड 3.06	ब्राण्ड नामों का उपयोग
खण्ड 3.07	संविदाओं के अन्तर्गत व्यय
खण्ड 3.08	बोलियों का मूल्य
खण्ड 3.09	संविदा मूल्य
खण्ड 3.10	मूल्य समंजन धाराएं
खण्ड 3.11	अग्रिम भुगतान
खण्ड 3.12	गारंटियां निष्पादन बांड और रोक रखा गया धन
खण्ड 3.13	बीमा
खण्ड 3.14	चुकाई गई क्षति और बोनस धाराएं
खण्ड 3.15	बाध्यकर स्थितियां (फोर्स मेज्यूर)
खण्ड 3.16	भाषा की व्याख्या
खण्ड 3.17	विवादों का निपटारा
अनुच्छेद 4	बोली खोलना, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना
खण्ड 4.01	बोली आमंत्रित करने और बोली लगाने के बीच का समय
खण्ड 4.02	बोली खोलने की क्रिया विधि
खण्ड 4.03	बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन
खण्ड 4.04	क्रियाविधि गोपनीय रखना
खण्ड 4.05	बोलियों का परीक्षण
खण्ड 4.06	बोलियों के पूर्व की शर्तें
खण्ड 4.07	बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना
खण्ड 4.08	बोलियों को रद्द करना
खण्ड 4.09	संविदा प्रदान करना

अनुच्छेद 5 सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्ग दर्शन

खण्ड 5.01 सलाहकारों की स्वस्थता

खण्ड 5.02 सलाहकारों का चयन

संलग्न वस्तु : पात्र स्रोत देश

अनुच्छेद 1

ऋण के अन्तर्गत माल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन

सामान्य

खण्ड 1.01 प्रस्तावना :

(क) ये निर्देशन बिन्दु उन नियमों को बताते हैं जो कि विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (इसके बाद "निधि" कहलाए) उस परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सामान्यतः लागू करती है जिसके लिए निधि अपने ऋण द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त प्रदान करती है।

(ख) निधि के ऋण की रकम की मितव्ययता दक्षता और उन देशों के बीच बिना भेद-भाव की भावना को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उपयोग करना होगा जो कि उपर्युक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र हैं। (ऐसे देश इसके पश्चात् "पात्र स्रोत देशों" के नाम से पुकारे गए हैं)। निधि यह विचार रखती है कि बहुत से मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा, परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की आर्थिक और दक्षतापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। अतः निधि अपने ऋणी से साधारणतः अपेक्षा करता है कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से माल तथा सेवाओं को प्राप्त करें।

(ग) निधि द्वारा वित्तदान की गई किसी विशेष परियोजना के लिए इन निर्देशन बिन्दुओं का लागू होना, बोली लगाने के दस्तावेज और अधि-प्राप्ति की क्रियाविधि या जिस सीमा तक निधि द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षा के अधीन हैं कि वे इन निर्देशन बिन्दुओं के अनुरूप हैं, पात्र स्रोत देश और अपात्र स्रोत देश से अनुमेय आयातों के लिए प्रावधान उस परियोजना के लिए निधि द्वारा प्रदान किए गए ऋण के संविदा सम्बन्धी दस्तावेजों में निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) किसी भी परियोजना पर माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व परियोजना के स्वामी पर होता है। चूंकि स्वामी प्रायः ऋणी भी होता है इसलिए इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं में ऋणी शब्द का प्रयोग मालिक के लिए भी किया गया है। परियोजना के लिए प्रदान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए बोली लगाने वालों के विषय में ऋणी के अधिकार और दायित्व ऋणी द्वारा जारी किए गए बोली, दस्तावेजों द्वारा शासित किए जाते हैं इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं द्वारा नहीं ये निर्देशन बिन्दु केवल ऋणी और निधि के बीच क्या सम्बन्ध हैं इससे सम्बन्धित हैं।

खण्ड-1.02 औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न क्रिया-विधियां :—

कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न ठहरे और निम्नलिखित मामलों में निधि अन्य दूसरे तरीके अपनाएं :—

(क) जिन मामलों में ऋणी के पास अपने उपस्कर का एक उचित मानकीकरण कायम रखने के लिए विश्वसनीय कारण हों ;

(ख) जिस मामले में पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो जैसे विद्यमान उपस्कर के लिए फालतू पुर्जों की संख्या ;

(ग) जिस मामले में अधिप्राप्ति के लिए लगी हुई धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी पार्टियां स्पष्ट रूप से इच्छुक न हों और कि अन्तर्ग्रस्त भार प्रशासकीय भार औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के लाभ से महत्वपूर्ण हो ;

(घ) जिस मामले में उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की क्रियाविधियों को लागू करना अनुचित समझता है या निधि ऐसी क्रिया विधि को अनुपयुक्त समझता है उदाहरणार्थ आपातकालीन अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर उल्लिखित मामलों में निम्नलिखित माल प्राप्ति का फार्मूला इस प्रकार लागू किया जाए कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा क्रियाविधि का पूर्ण सम्भव सीमा तक यथा उपयुक्त पालन करे।

(1) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा

(2) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक अधिप्राप्ति

(3) एक ही संभरक से सीधे ही खरीद।

खण्ड-1.03 संविदाओं की किस्म और आकार :

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एक मुश्त कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है।

विस्तृत प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग संविदाएं जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जब भी सुविधाजनक हो इतने बड़े आकार की होनी चाहिए कि अन्तरराष्ट्रीय आधार पर बोलियां आकर्षित कर सकें। दूसरी ओर, यदि तकनीकी और प्रशासकीय रूप से किसी परियोजना को विशिष्ट प्रकार की संविदाओं में विभक्त करना सम्भव है और इस प्रकार किया हुआ विभाजन लाभकारी होने की सम्भावना है तो विस्तृत रूप से औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की अनुमति प्रदान करने के लिए परियोजना इस प्रकार विभाजित की जाएगी।

इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

अनुच्छेद 2

विज्ञापन और पूर्व अर्हताएं

खण्ड-2.01 विज्ञापन :

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतिया पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

खण्ड-2.02 बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताएं :

जिस मामले में निधि बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताओं को आवश्यक समझती है, उसमें निधि बोली लगाने से पूर्व की शर्तों को मान्यता प्रदान कर सकता है। यह निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए :—

(1) प्रत्येक पार्टी का समान कार्य में अनुभव और भूतकालीन निष्पादन,

(2) कर्मचारीगण, उपस्कर और संयंत्र के सम्बन्ध में उसकी सामर्थ्य, और

(3) उसकी आर्थिक स्थिति ।

पात्र समझे जाने के लिए इच्छा रखने वाले संविदाकारों को संक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि पूर्व अर्हताएं प्रयोग की गई हों तो उन सभी पार्टियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी जो पात्र पाई गई हैं ।

अनुच्छेद 3

बोली के दस्तावेज

खण्ड 3.01 निधि का संदर्भ :

बोली लगाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित भाषा में होने चाहिएं :—

"..... (ऋणी का नाम) ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से एक ऋण ..... येन में ..... (परियोजना का नाम) की कीमत के भाग ने प्राप्त किया है (अथवा उपयुक्त मामलों में आवेदन किया है) ।"

खण्ड 3.02 बोली बाण्ड और गारंटियां :

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए । बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही सम्भव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिएं ।

खण्ड 3.03 संविदा की शर्तें :

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में ऋणी और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि ऋणी द्वारा कोई इन्जीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए ।

खण्ड 3.04 विशिष्टिकरणों की स्पष्टता :

जहां तक संभव हो पूर्ण किए जाने वाले कार्य, संभारित किए जाने वाले माल और सेवाओं और सुपुर्दगी या संस्थापन के स्थान को विशिष्टिकरणों में स्पष्ट और यथार्थ रूप से घोषित करना चाहिए । आलेख विशिष्टिकरणों के मूल विषय के अनुसार होने चाहिएं जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर मूल विषय ही प्रधान रहेगा । विशिष्टिकरणों में उन मुख्य तत्वों या आधारों की पहचान होनी चाहिए जिनको बोलियों का मूल्यांकन करते समय और उनकी तुलना करते समय ध्यान में रखा जाएगा इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना, स्पष्टीकरण, विशिष्टिकरणों में हुई गलतियों को ठीक करना अथवा उनमें परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उन सभी को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है । बोली के आमंत्रण में पात्र स्त्रोत देश निर्दिष्ट होने चाहिएं और अपात्र स्त्रोत देशों से अनुमेय आयातों के लिए यदि कोई प्रावधान हो तो वह भी निर्दिष्ट होना चाहिए । जिन मामलों में निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा (देखिए खण्ड 1.02) से भिन्न क्रियाविधियों के लिए सहमत हो गई है उनको छोड़कर विशिष्टिकरण का इसमें इस प्रकार उल्लेख होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों को अनुमति और प्रोत्साहन मिले ।

खंड 3.05 मानदण्ड :

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह वर्णित किया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा ।

खंड 3.06 ब्राण्ड नामों का प्रयोग:

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बढ़ाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं ।

खंड 3.07 संविदाओं के अन्तर्गत खर्चे :

चूंकि निधि के ऋण का उपयोग पात्र स्रोत देशों के क्षेत्र में उत्पादित माल के लिए अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात के लिए और पात्र स्रोत देशों से भेजी गई सेवाओं के लिए किए जाने वाले व्यय में वितरदान करने तक ही सीमित है इसलिए संविदा के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में ठेकेदार अथवा संभरक को अपने व्यय तदनुसार सीमित रखने चाहिएं या अपने विवरण पत्रों या बीजकों में अपात्र स्रोत देशों में किए गए खर्चों का बोध कराना चाहिए । जिन माल और सेवाओं के लिए निधि वितरदान करनी है उनके भौगोलिक मूल उद्गम और उनके प्रमुख संघटकों से संबंधित सूचना की आवश्यकता निधि को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होती है । ठेकेदार अथवा संभरकों को बोली दस्तावेजों में आवश्यक सूचना भेजनी चाहिए ।

खंड 3.08 बोलियों की कीमत लगाना :

चूंकि निधि ऋण जापान येन में वर्गीकृत किया गया है, बोली का मूल्य जापान येन में दर्शाया जाना चाहिए लेकिन बोली मूल्य का वह भाग जिसकी बोली लगाने वाला ऋणी के देश में खर्च करना चाहता है उसका अर्पण ऋणी की मुद्रा में किया जाना चाहिए ।

खंड 3.09 संविदा की कीमत :

संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए ।

खंड 3.10 मूल्य समंजन कडिकाएं :

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है । यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो उपयुक्त मामलों में संविदा की कीमतों में समंजन (उतार चढ़ाव) के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए ताकि वही प्रावधान सभी बोलियों में लागू किया जा सके माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए । ये मात्र निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके ।

खंड 3.11 अग्रिम भुगतान :

खर्चा चलाने के लिए संविदा के सम्मादन पर अग्रिम रूप से किए गए कुल भुगतान का प्रतिशत उचित होना चाहिए । अन्य दिए जाने वाले

अधिम धन जैसे कम्म में आने वाले माल की साईट पर सुपुर्दगी के लिए भी बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए।

खंड 3.12 गारन्टी निष्पादन बांड और रोकी रखी गई धनराशि :

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

खंड 3.13 बीमा :

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

खंड 3.14 चुकाई जाने वाली क्षति और बोनस प्रावधान :—

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से संबंध प्रावधान शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

खंड 3.15 बाध्यकारी परिस्थिति :

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिएं कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों (फौर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)

खंड 3.16 भाषा की व्याख्या :

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिएं। यदि बोली दस्तावेजों में भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

खंड 3.17 झगड़ों का निपटान :

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिएं। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर आधारित होने चाहिएं।

अनुच्छेद-4

बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

खंड 4.01 बोलियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय :

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर जाने-आने देख-भाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिएं। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

खंड 4.02 बोली खोलने की क्रियाविधि :

~~बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिए~~ तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिएं। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

खंड 4.03 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन:

बोली खुलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े। ऋणी किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के वास्तविक एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

खण्ड 4.04 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि :

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली के खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

खण्ड 4.05 बोलियों की जांच :

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियां सामान्यतया अन्यथा रूप से सही हैं? यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

खण्ड 4.06 बोलीकारों की पूर्व योग्यताएं :

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आवश्यक है कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास संबद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए

खण्ड 4.07 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान :

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्यकुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदण्ड के अनुसार रुपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजन कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खुलने के दिन तक उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिएं। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

बोली की मूल्यांकन और मिलान की रिपोर्ट जिसमें वे विशेष कारण निर्धारित किए गए हैं जिन पर न्यूनतम मूल्यांकित बोली का निर्धारण आधारित है ऋणी या उसके सलाहकारों द्वारा तैयार की जानी चाहिए :

खण्ड 4.08 बोलियों को अस्वीकृत करना :

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिएं। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब औचित्य देने चाहिएं जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं हैं या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्यवस्तुओं की धन राशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष स्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकार के साथ सौदा कर सकता है।

खण्ड 4.09 संविदा का निर्णय :

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय की एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्यवस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

बोलियों का विश्लेषण करने के पश्चात्, बोलियों के विश्लेषण की प्रतियां और निर्णय के लिए प्रस्ताव ऐसे प्रस्तावों के लिए कारणों सहित निधि के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

अनुच्छेद-5

सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन

खण्ड 5.01 सलाहकारों की स्वतन्त्रता :

निधि के अन्तर्गत परियोजना के वित्तपोषण के संबंध में नियुक्त की गई सलाहकार पार्टियां इस दृष्टिकोण से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह और आलेख, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा बनाए गए निविदा दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक अथवा प्रौद्योगिक पक्षपात से मुक्त हैं।

सलाहकार इन्जीनियर जो कि ठेकेदारों अथवा विनिर्माण पार्टियों से मिले हुए हैं केवल तभी उपयोग में लाए जा सकेंगे जबकि स्वयं और उनके साथी एक ही परियोजना पर किसी भी अन्य क्षमता से कार्य के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। सलाहकार इन्जीनियरों के मामले में जो विनिर्माताओं के साथ लगे हुए हैं और सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं केवल यह सुनिश्चय करने के लिए ही ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह कंपनी जिससे सलाहकार संबंधित है परियोजना के किसी भी भाग पर भविष्य में बोली बोलने के लिए न केवल अयोग्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि वे विशिष्टीकरण निष्पक्ष होंगे और उनका प्रतियोगिता के आधार पर पालन किया जाएगा।

खंड 5.02 सलाहकारों का चयन :

सलाहकार पार्टियों के चयन के लिए औपचारिक प्रतियोगात्मक बोली क्रियाविधियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन के दौरान ऋणी प्रत्याशित पार्टियों की उचित संख्या पर विचार करेगा जिसमें निधि द्वारा अधिसूचित पार्टियां भी शामिल होंगी, जिनमें पात्र स्रोत देशों द्वारा उचित तथा स्वतंत्र सेवाएं प्रदान करने की संभावना हो सकती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण कम से कम तीन पार्टियों तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त होने पर प्रस्तावों को पहले गुणात्मक आधार पर तुलना की जानी चाहिए अर्थात् योजना बनाने के संबंध में, अनुसूचियां, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का अनुभव और क्षमताएं, दिए गए कार्य के लिए सब से योग्य समझी गई पार्टी अथवा पार्टियों के चयन के पश्चात् पूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए संविदा के मूल्य और अन्य वित्तीय शर्तों पर मानने के लिए बातचीत प्रारम्भ की जानी चाहिए। निधि द्वारा परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण के लिए की गई सहायता के लिए ऋणी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अथवा पहले ही नियुक्त किए गए सलाहकारों के चयन के अनुमोदन का अधिकार निधि को प्राप्त है।

अनुबन्ध—3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

संख्या.....दिनांक.....

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली—11000।

विषय:— 1979-80 के लिए येन क्रेडिट सं० आई डी-पी-7 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से..... का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट आई डी-पी 7 (परियोजना सहायता) के अधीन.....से.....क

कि .....के आयात के सम्बन्ध में .....(बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ढ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम से साख पत्र खोलने के लिए दिया गया है की प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके.....क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)।

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :—

(1) राष्ट्रिकता।

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों की प्रतिशत।

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान।

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज।

(प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)।

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं। निर्दिष्ट कीजिए।

(त) भारत में आयातक बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ०ई०सी०एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध-4

(प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र)

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,

टोकियो शाखा

टोकियो (जापान)

विषय:—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार संख्या आई डी पी–7 के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 23-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री.....के नाम में .....येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपके फण्ड से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओईसीएफ को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओईसीएफ द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रखरखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्चे भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परकाम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई० सी०एफ० में नहीं किया जा सकता।

यह प्राधिकार पत्र समुद्र पार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के अंतर्गत खोले गए आगे के नए साखपत्र या साखपत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र .....तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

1. आयातक ·························को उनके पत्र संख्या ·························दिनांक ············के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक ·························उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ग्रॉफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या–8 ग्राईटीसी(पी एन)/78, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46 ग्राईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जायगा अर्थात वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां, या तो रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिएं या इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 184—ग्राईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या 233 ग्राईटीसी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68, सं०-132 ग्राईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971, सं० 74 ग्राईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 ग्राईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिटस एण्ड एडवांसेज 843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिटर्स फार पर्चेजिस एटसेक्ट्रा फ्रोम एब्रोड परचेजिस अन्डर क्रैडिट/लोन एग्रीमेंन्ट अन्डर डिटेल्ड हैड, "1 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० ग्राई डीपी-7 फार 1979-80 फ्रोम जापान क्रेडिटस फ्रोम दि गवर्नमेंट ग्रॉफ जापान" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 ग्राई० टी० सी०(पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ग्रॉफ इण्डिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (ग्राथिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू० सी० ग्रो० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उनकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो बैंकिंग खर्चे, ब्याज और बैंक ग्रॉफ इण्डिया टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे (विदेशी संभरक बैंकरों के खर्चे सहित) इण्डियन बैंक और बैंक ग्रॉफ इण्डिया टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार ग्राथिक सहयोग निधि, टेकूवसी ग्यूडो बिल्डिंग, 4-1, ग्रोहटिमेची 1-कोमे, चियोडा-कू, टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय दूतावास टोकियो।

5. ग्रवर सचिव, जापान ग्रनुभाग, वित्त मंत्रालय ग्राथिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

[ग्रो०ई०सी०एफ०एल०सी०-I प्रपत्र]

ग्रपरिवर्तनीय साखपत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक ·············

सेवा में,

———————— यह साखपत्र (ऋणी) और विदेशी
———————— ग्राथिक सहयोग निधि के बीच हुए
ऋण करार सं·········· के
(संभरक का नाम और पता) दिनांक ··················के
अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने ग्रपरिवर्तनीय साख-पत्र संख्या ····················खोल दिया है जो ···················(येन ···················येन कह सकते हैं) कि कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन ग्रान बोर्ड, समुद्री पोतलदान बिल जिनमें दिए गए आदेश का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं नोटिफाई"

ग्रन्य दस्तावेज जिसमें ·············से ·············तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा संख्या ················(यदि कोई हो) के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण ग्रांशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहनान्तर यदि स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो ··············से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को ड्राफ्ट ··················19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। "ग्रपरिवर्तनीय साखपत्र संख्या ·········दिनांक 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो)", यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथारूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रेक्टिस फार डाकूमेन्ट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल चैम्बर ग्राफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन-पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के भाव हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्ट्स और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण-पत्र अवश्य भेजे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा .....को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे संभरक के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

(.....)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा .....

.....द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें :

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं०.....का अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य के .....प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि.....येन जो कि कुल संविदा मूल्य का .....प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि.....येन संविदा जो कुल मूल्य का .....प्रतिशत है।

टिप्पणी :— पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबन्ध-6

[प्रपत्र ओ०ई०सी०एफ०एल०सी-2]

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

दिनांक.....

सेवा में,

_____ यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी

_____ आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए

_____ ऋण करार संख्या.....दिनांक

(संभरक का नाम व पता) .....के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं०..... खोल दिया है जो येन.....(येन.....पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा..... और परियोजना.....) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट.....से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों "अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं०..... दिनांक.....के अन्तर्गत भुना लिए गए हैं से" चिन्हित होने चाहिएं।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने पर और आवेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथारूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकूमेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, सं० 290" के अधीन है।

भुगतान अनुसूची :

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख-पत्र सं०.....का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि.....येन

कुल संविदा मूल्य का.....प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज :— लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि :—

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि.....येन

कुल संविदा मूल्य का.....प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

	देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
	येन————	————
पहली किस्त	येन————	————
दूसरी किस्त	येन————	————
————	————	————

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक————

संदर्भ सं०————

सेवा में,

_____

_____

_____

[संभरक का नाम और पता

संदर्भ:-ऋण करार सं०.....के अन्तर्गत.....परियोजना से संम्बन्धित.....के नाम में.....येन के लिए.....द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं०.....दिनांक.....में, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि ऋणी एतद् द्वारा.....और.....के बीच हुए समझौता सं०.....दिनांक.....में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्र पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा.....की धनराशि (.....येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

(.....)

(ऋणी) द्वारा.....

प्राधिकृत हस्ताक्षर

विशेष अनुदेश:-

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

इनमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी अथवा इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् हम क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिएं । प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन विवरण के बजाय लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2. और उल्लिखित समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रति पूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं ।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें इसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे ।

4. ~~इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे संभरकों के लेखे में लिए हैं,~~

भवदीय,
(वाणिज्यिक बैंक,)
द्वारा........
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTR OF COMMERCE

Public Notice No. 27-ITC(PN)|81

New Delhi, the 29th May, 1981

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Licensing conditions in respect of import of goods and services by the Haryana State Electricity Board under the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Loan of Yen 4 billion.

File No. IPC/23 (15)/80-81.—The terms and conditions governing the issuance of import licence under the 4 billion Yen Credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of the Haryana State Electricity Board as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MISS ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX I

Licensing conditions in Respect of Imports of Goods and services under the Yen credit of Yen Four Billion for the Implementation of. the Western .Yamuna Canal Hydro-electric Project of the Haryana State Electricity Board extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan.

Section I—General Conditions :

I (i) The Yen Credit of 4 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of the Haryana State Electricity Board (HSEB) is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence (s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD|CG Committee. The value of import licence (s) issued under this credit should not exceed £ 4,440 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate noticed by the Department of revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence (s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P.7". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to H.S.E.B., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of HSEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of HSEB more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed £ 4,440 million ~~(CIF) as specified at (i) above.~~

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by HSEB, be granted upto 31-12-85 Request or further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) No remittance of foreign exchange will be permitted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licence on the overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importor and the overseas supplier. Order on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the Import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer

from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-85.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind:—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so bigh as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II (iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

(a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it in appropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure in applicable, e g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

(i) Formal Selective International Tendering .

(ii) Informal International Competitive Procurement.

(iii) Direct Purchases from a single supplier.

H.S.E.B. should prepare a detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons/ justifications on which the lowest evaluated bid is based and submit it in triplicate alongwith bid analysis statements sheets supported by documentary evidences, if any to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section), North Block, New Delhi who will obtain the necessary approval of the same from the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the O.E.C.F. only after obtaining the OECF approval of the report etc

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.7 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier :

The Suppliers shall be national of the eligible source countries, or juridical persons governed substantially by national of the eligble source countries, satisfying the following conditions :—

(a) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.

(b) that a majority of full time directors shall be nationals of the eligible source country; and

(c) such juridical persons have been registered in the eligible source countries.

II(vii) Declaraton in Contract :

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in .....(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100"$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that ..... (Name of company) has been incorporated and registered in .....(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries.

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30 per cent) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae;

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100"$$

Section III—Coditions to be incorporated in the supply contracts.

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 19th March, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 7 (Project Aid) for Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of HSEB and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement

No. ID-P.7 dated the 18th March, 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in III(vii).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. in exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF :

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both H.S.E.B. and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finace (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.7 (Project Aid) for Western Yamuna Canal Hydroelectric Project of HSEB.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure :

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, H.S.E.B. and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the HSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure V (for physical imports) or Annexure VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section , Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA & A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/ letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker and interest charges payable to the Bank of India, Tokyo, for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M|o Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo, The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the HSEB [vide Section VI(iv)] infra.

Section VI—Responsibility for rupee deposit :

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I, Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 days and @ 15 per cent per annum for the period in excesss thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC (PN)/76 dated 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC-(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated the 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements" Loans from the Government of Japan—4 Billion Yen Credit No. ID-P.7 for Western Yamuna Canal Hydroelectric Project.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is

made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions :

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure III under "Terms of Payment" Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions :

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.7 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures :

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Broad Guidelines for Procurement.

Annexure—III Request for issue of letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Authority.

Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letters of Credit (Applicable to Services)—

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara
- Egypt
- Morocco
- Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
- Angola
- Botswana
- Burundi
- Cameroon
- Cape Verde Islands
- Central African Rep.
- Chad
- Comoro Islands
- Congo, People's Republic of Dahomey
- Equatorial Guinea (1)
- Ethiopia
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Ivory Coast
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Malagasy Republic
- Malawi
- Mali
- Mauritania, Mauritius
- Moozambique
- Niger
- Portuguese Guinea
- Reunion
- Rhodesia
- Rwanda
- St. Helena and dep. (2)
- Sao Tomo and Principe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudan
- Swaziland
- Terro. Afars and Issas
- Togo
- Uganda
- Un. Rep. of Tanzania
- Upper Volta
- Zaire Republic
- Zambia

III. AMERICA, North and Cont:
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Costa Rica
- Cuba
- Dominican Republic
- El Salvador
- Guadeloupe
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Martinique
- Mexico
- Netherlands AnTilles
- Nicaragua
- Panama
- St. Pierre & Miquelon
- Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the islands of Fernando Po.

(2) Including the following islands; Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part)

AMERICA, North & Central (Continued)
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South:

Argentina
Bolivia
Brazil
Chille
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordon
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South:

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East:

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam, Dem. Rep.

VII. OCEANIA:

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Nieu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(1) Main islands : Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts. (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent

(2) Main islands; Montserrat, Cayman, Turks, and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam)

(a2) Member or Association Countries of OPEC:

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesias

ANNEXSURE II

OECF

The Overseas Economic Cooperation Fund

Guidelines for Procurement under The Loan

Guidelines for Procurement under the Loan

Tables of Contents

Article Number Title

Article I. General
Section 1.01 Introduction
Section 1.02 Procedures other than Formal Open International Tendering
Section 1.03 Type and Size of Contracts

Article II. Advertising and Prequalification
Section 2.01 Advertising
Section 2.02 Prequalification of Bidders.

Article III. Bidding Documents
Section 3.01 References to the Fund
Section 3.02 Bid Bonds or Gurantees
Section 3.03 Conditions of Contract
Section 3.04 Clarity of Specifications
Section 3.05 Standards
Section 3.06 Use of Brand Names
Section 3.07 Expenditures under Contracts
Section 3.08 Pricing of Bids
Section 3.09 Contract Price
Section 3.10 Price Adjustment Clauses
Section 3.11 Advance Payments
Section 3.12 Guarantees, Performance Bonds and Retention Money
Section 3.13 Insurance
Section 3.14 Liquidated Damage and Bonus Clauses
Section 3.15 Force Majeure
Section 3.16 Language Interpretation
Section 3.17 Settlement of Disputes

Article IV. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract.
Section 4.01 Time Interval between Invitation and Submission of Bids.
Section 4.02 Bid Opening Procedures

Section 4.03 Clarification or Alteration of Bids

Section 4.04 Procedures to be Confidential

Sectin 4.05 Examination of Bids

Section 4.06 Postqualification of Bidders.

Section 4.07 Evaluation and Comparison of Bids

Section 4.08 Rejection of Bids

Section 4.09 Awards of Contract

Article V Guidelines for Use of Consultants

Section 5.01 Independence of Consultants

Section 5.02 Selection of Consultants

Attachment : Eligible Source Countries.

GUIDELINES FOR PROCUREMENT UNDER THE LOAN

Article I

General

Section 1.01 Introduction :

(a) These Guidelines set forth the rules which the Overseas Economic Cooperation Fund (hereinafter called "the Fund") generally applies to the procurement of goods and services for a development project which the Fund finances in whole or in part by its loan.

(b) The proceeds of the Fund's loan are required to be used with due attention to considerations of economy, efficiency and non-discrimination among countries which are eligible for procurement of the above-mentioned goods and services (such countries are hereinafter called "the eligible source countries"). The Fund considers that in most cases formal open international tendering is the best method for achieving the economical and efficient procurement of the goods and services required for the development projects it finances. The Fund therefore normally requires the borrowers to obtain goods and services through formal open international tendering.

(c) The application of these Guidelines to a particular project financed by the Fund, the extent to which bidding documents and procurement procedures are subject to review by the Fund to ensure conformity with these Guidelines, eligible source countries and provisions for permissible imports from non-eligible source countries shall be stipulated in the contractual documents for the loan extended by the Fund for that project.

(d) The ultimate responsibility for the procurement of goods and services on any projects rests with the owner of the project. Since the owner is usually also the borrower, the term borrower has been used in these Guidelines to refer to the owner as well. The rights and obligations of the borrower vis a vis bidders for goods and services to be furnished for the project are governed by the bidding documents issued by the borrower and not by these Guidelines, which are concerned only with the relationship between the borrower and the Fund.

Section 1.02. Procedures Other than Formal Open International Tendering :

There may be special circumstances in which formal open international tendering may not be appropriate and the Fund may accept alternative procedures in cases of following :

(a) Where the borrower has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited, e.g. of spare parts for existing equipment.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedures inapplicable for example in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement formulas may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

(i) Formal Selective International Tendering

(ii) Informal International Competitive Procurement.

(iii) Direct Purchases from a Single Supplier.

Section 1.03. Type and Size of Contracts.

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items applied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is technically and administratively possible to divide a project into contracts of a specialized character and such division is likely to be advangeous and to allow broader formal open international tendering the project shall be so divided.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantage for the borrower country.

Article II

Advertising and Prequalification

Section 2.01 Advertising :

On all contracts subject to formal open international tendering invitation to bid should be advertised in at least one newspaper of general circulation in the borrower's country. Copies of the invitation to bid for the advertisement should also be transmitted promptly to local representatives of the eligible source countries.

Section 2.02 Prequalification of Bidders :

In case the Fund recognises necessary of prequalification of bidders, the Fund requires the use of prequalification. It should be done taking into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial positions. Abreived specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for qualification. When prequalification is employed, all firms which are found to be qualified shall be permitted to bid.

Article III

Bidding Documents

Section 3.01. Reference to the Fund ::

Bidding documents should refer to the following languages : "..... (name of borower) ..... has received (or in appropriate cases 'has applied for') a loan from The Overseas Economic Cooperation Fund in ..... towards the cost of (name of project)."

Section 3.02. Bid Bonds or Guarantees :

Bid bonds or bidding guarantees are usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid Bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

Section 3.03. Conditions of Contract. :

The condtions of contract should clearly defing the rights and obligations of the borrower and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the borrower, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of cotract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

Section 3.04. Clarity of Specifications :

Specifications should set forth as clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. The drawings should be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications should identify the main factors or bases which will be taken into account in devaluating and comparing bids. Any additional information, clarification, correction of errors or alterations of specifications shall be sent promptly to all those who had requested the original bidding documents. Invitations to bid should contain an indication of the eligible source countries and any provision for permissible imports from non-eligible force countries.

Except where the Fund has agreed to procedures other than formal open international tendering (see Section 1.02) the specifications should be so worded as to permit and encourage the widest possible international bidding.

Section 3.05 Standards :

If national standards to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that goods meeting Japan Industrial Standard or other international accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

Section 3.06 Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of a specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

Section 3.07. Expenditures under Contracts :

As the use of the Fund's loan is limited to financing expenditures for goods produced in the territories of the eligible source countries, permissible imports from non-eligible source countries and services supplied from the eligible source countries, the bidding documents should require the contractor or supplier to limit his expenditures under the rcontract accordingly or to identify expenditures in non-eligible source countries in his statements or invoices.

For statistical purposes the Fund requires information concerning their geographical origin of the goods and services it finances and of their major components. The bidding documents should require the contractor or supplier to furnish the necessary information.

Section 3.08. Pricing of Bids :

As the Fund's loan is denominated in Japanese Yen, the bid price should be stated in Japanese on provided, however, that for the portion of the bid price which the bidder expects to spend in the borrower's country such portion should be stated in the borrower's currency.

Section 3.09. Contract Price :

The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

Section 3.10. Price Adjustment Clauses :

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

In appropriate cases, provision should be made for adjustment (upwards or downwards in the contract prices in the event changes occur in prices of the major cost constitúents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents so that the same provisions will apply to all bids.

A ceiling off prices adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identity the various methods by which contract prices may be adjusted.

Section 3.11 Advance Payments :

The percentage of the total payment to be made in advance upon effectuation of the contract for mobilization expenses should be reasonable. Other advances to be made, as for example for materials delivered to the site for incorporation in the works, should also be clearly described in the bidding documents.

Section 3.12 Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warrantly period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

Section 3.13 Insurance :

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successfully bidder.

Section 3.14 Liquidated Damage and Bonus Clauses

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

Section 3.15 Force Majeure :

The conditions of contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of contract.)

Section 3.16 Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to the such documents and it is required to specify which is governing.

Section 3.17 Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract. It is appropriate that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which has been prepared by International Chamber of Commerce.

Article IV

Bid Opening Evaluation and Award of Contract :

Section 4.01 Time Interval Between Invitation and Submission of Bids :

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 45 days should be allowed for international bidding. Where large civil works are involved, generally not less than 90 days should be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each project.

Section 4.02 Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bidders all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted should be read aloud and recorded.

Section 4.03 Clarifications or Alteration of Bids :

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask bidder to change the substance or price of his bid.

Section 4.04 Procedures to be Confidential :

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

Section 4.05 Examination of Bids :

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

Section 4.06 Post-qualification of Bidders :

In the absence of prequalification, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

Section 4.07 Evaluation and comprison of Bids :

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correctarithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of the currencies before the award is made. In such cases the Exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

A detained report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which the determination of the lowest evaluated bid is based should be prepared by the borrower or by its consultants.

Section 4.08 Rejection of Bids :

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revisions of the specifications or modification in the project (or amount of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

Section 4.09 Award of Contract :

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify his bid.

After bids have been analyzed, copies of the analysis of bide and proposals for awards, together with the reasons for such proposals, shall be submitted to the Fund for approval.

Article V

Guidelines for the Use of Consultants :

Section 5.01 Independence of Consultants :

Consultants firms employed in relation to a project financed under the Fund's shall be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and tender documents prepared by them shall be free of national, commercial or industrial bias.

Consulting engineers who are associated with contracting or manufacturing firms shall be used only if they disqualify themselves and their associates for work in any other capacity on the same project. In the case of consulting engineers who are affiliates of manufacturers offering consulting services steps shall be taken not only to ensure that the company to which the consultant is affiliated will be disqualified from future bidding on any part of the project, but also that specifications will be impartial and can be complied with on a competitive basis.

Section 5.02 Selection of Consultants :

Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consulting firms. However, in the process of selection the borrower shall consider a reasonable number

of prospective firms, including those notified by the Fund, which can be expected to render competent and independent services from the eligible source countries. Invitations to submit proposals shall be extended to at least three firms. Proposals, when received, should first be qualitatively compared i.e. with respect to plans of approach, schedules, experience and capabilities of personnel to be assigned; after sanction of a firm or firms considered to be best qualified for the assignment has been made, negotiations to agree upon the price and other financial terms of the contract should be opened so as to reach the final decision. The Fund reserves the right to approve the choice of the consultant to be employed or already employed by the borrower for the preparation and supervision of the project financed by the Fund.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts and Auidt,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject : Import of from Japan under the Yen Credit No. ID-P. 7 (Project Aid for 1979-80.)

Sir,

In connection with the import of————from———— under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 7 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the————. (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the inport components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality

(ii) Percentage of the share held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier,

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importants bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. I.D.-P. 7—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit :

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen———— favouring M/s.————as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/C against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto————.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer————with reference to their Letter No.————dated————.

2. Importers' Banker————————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reinbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreement—Loans from the Government of Japan 4 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 7 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent to them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking, charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled directly between the Indian bank and the Bank of India Tokyo Branch.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Jayan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF—LC I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date :

To————————
(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.———— dated———— between (Borrower) and The Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in your favour for account of————for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of sign of yen———(Say yen)available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify"

Other documents

evidencing shipment of [brief description of goods to be shipped referring to Contract No. (If any)] from to

Partial shipments are permitted.

Transhipment is permitted:

Bills of lading must be dated not later than

Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be market "Drawn under irrevocable credit No. dated and Import Reference No. (s). if(any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued hereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordanc with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to————.
3. All banking charges under this credit are for the account of suppliers.

Yours faithfully,

.....
(a commercial bank)

By:

(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS :

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.————

I. Initial Payment.

Amount————————————

being—————— %of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount————————————

being——————% of the total contract price.

Required documents :

Latest prsentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount————————————

being——————% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE—VI

Form OECF—LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To

—————————— This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. —————— dated——————,

—————————— between (Borrower) and The Overseas Economic Cooperation Fund.

(Name and address of the Supplier)

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of——————(Say Yen available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to———— Project). Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marked"Drawn under irrevocable credit No. dated ".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Domcumentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for your payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt therof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the suppliers.

Yours faithfully.

——————

(a commercial bank)

By :——————

(Authorised Signature)

PAYMENT SCHEDULE:

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.——————

I. Initial Payment

Amount——————

being————% of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation rate :

II. Progress Payment.

Aggregate amount——————

being ————% of the total contract Price to be paid as follows :

	Amount due	Latest presentation date
	——————	——————
Ist Instalment	——————	——————
2nd Instalment	——————	——————
....	....	....

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To

——————

——————

(Name and address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No.——————dated,

issued by——————————————————

for——————————————————in favour of——————————concerning —————Project under Loan Agreement No.——————————

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle——————to receive the sum of——————(Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. ——————, dated——————between ——————and——————————.

——————————

(Borrower)

By ——————————

(Authorised Signature

Special Instructions.

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981